



उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

पत्रांक /उ०नि०लि०/मु०म०प्र०(वित्त)/

दिनांक: 11 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निगम ज्ञाप संख्या 278/उ.नि.लि./मु०म०प्र०(वित्त)/ दिनांक 10.05.2011 जिसके द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु मासिक निधि निर्गमन आवंटन किया गया है, के आंशिक संशोधन में ओबरा तापीय विद्युत परियोजना हेतु मासिक आवंटन माह मई, 2011 (द्वितीय किश्त) से निम्नवत पुनरीक्षित किया जाता है :-

(रु० करोड़ में)


क्र० सं०	परियोजना का नाम	संख्या 278/उ.नि.लि./मु०म०प्र०(वित्त)/ दिनांक 10.05.2011 द्वारा निर्धारित मासिक ओ० एण्ड एम० की राशि	वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह मई (द्वितीय किश्त) से पुनरीक्षित मासिक ओ० एण्ड एम० की राशि
1.	ओबरा 'अ'	1.30	1.60
2.	ओबरा 'ब'	2.78	2.48
	योग	4.08	4.08

अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 283 /उ०नि०लि०/मु०म०प्र०/वित्त तददिनांक

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- सलाहकार (तकनीकी), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- कम्पनी सचिव, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/जानपद/आर० एण्ड एम०/पर्यावरण सुरक्षा, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि अनुरक्षण एवं परिचालन मद में कोई विशेष निधि मांग-पत्र स्वीकार न किये जायें।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को निगम की बेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7- महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), ओबरा तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, ओबरा (सोनभद्र) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निर्धारित सीमा में अनुरक्षण एवं परिचालन व्यय नियंत्रित रखें तथा इस मद में विशेष निधि मांग-पत्र न प्रस्तुत किया जाये।
- 9- उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/वरिष्ठ लेखाधिकारी, ओबरा 'अ'/'ब', ओबरा तापीय परियोजना, उ०नि०लि०, ओबरा सोनभद्र।
- 11- मुख्य प्रबन्धक, कैश प्रबन्धन इकाई, उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12- वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।


(ए० के० अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)